न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 976–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–1–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ जिला मंदसौर, प्रकरण क्रमांक 8/बी–121/2012–13

.....

गंगाराम पिता किशोर गुर्जर
निवासी ग्राम भीलखेड़ी तहसील मल्हारगढ़,
जिला मंदसौर

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा :–
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़, जिला मंदसौर

.....अनावेदक

.....

श्री दिनेश व्यास, अधिवक्ता – आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ जिला मंदसौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुये कि ग्राम भीलखेड़ी स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 427 रकबा 0.70 हेक्टेयर को कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 205/अ–59/2000–01 से नोईयत परिवर्तन किया गया है जिसका इन्द्राज वर्ष 2000–01 में हो गया है ।

2000–2001 के खसरा नम्बर 427 रकबा 0.90 हेक्टेयर भूमि निजी भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 8/बी–121/12–13 दर्ज कर आवेदक को कारण बताओं सूचना जारी किया गया । आवेदक द्वारा उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को उक्त प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–1–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त नहीं है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकारण आदेश पारित नहीं करते हुये आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जो कि उचित कार्यवाही नहीं होकर उक्त आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुये आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर अभिलेख की मॉग की गई है । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में सहयोग नहीं करते हुये इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक को चाहिये कि वह अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही जॉच में सहयोग करें ताकि प्रकरण का वास्तविक रूप से निराकरण हो सके । अनुविभागीय अधिकारी को भी चाहिये कि वे भी संहिता के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये

कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करें । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ जिला मंदसौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर